

Frequently asked questions regarding Municipal Elections

प्रश्न – नगरीय निकाय अध्यक्ष का चुनाव कौन लड़ सकता है ?

उत्तर –

1. अध्यक्ष (Chairperson) पद का चुनाव लड़ने के लिए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका सदस्य के लिए निर्धारित योग्यता होना आवश्यक है एवं निर्योग्य नहीं होना चाहिए।
2. कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए या इस पद को धारण करने के लिए तब ही पात्र होगा यदि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन नगरपालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अर्हित हो और निरर्हित न हो।
3. कोई भी निर्वाचित सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुने जाने एवं उसका पद धारण करने का पात्र होगा।
4. कोई व्यक्ति जो संसद या राज्य विधानसभा का सदस्य है या वह किसी पंचायती राज संस्था का अध्यक्ष या सदस्य है अध्यक्ष के रूप में चुने जाने या उसका पद धारण करने का पात्र नहीं होगा।
5. अध्यक्ष का पद जिस जाति एवं वर्ग (यथा अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ महिला/जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग महिला) के लिए आरक्षित है, उसी जाति एवं वर्ग का अभ्यर्थी ही अध्यक्ष के रूप में चुने जाने या उसका पद धारण करने के योग्य होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को नाम निर्देशन पत्र के साथ राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

प्रश्न – नगरीय निकाय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन हेतु भरे जाने वाले फार्म/संलग्नक कौन-कौन से हैं ?

उत्तर— नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए नामांकन हेतु भरे जाने वाले फार्म/संलग्नक का विवरण निम्नानुसार हैं:—

- (i) नाम निर्देशन पत्र (प्ररूप-3 क)
- (ii) आयोग के पत्रांक 4149 दिनांक 21.10.2019 के द्वारा विहित दोषसिद्धि एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों संबंधी सूचना हेतु निर्धारित घोषणा पत्र,
- (iii) उक्त पत्रांक के द्वारा विहित संतानों की सूचना हेतु निर्धारित घोषणा पत्र,
- (iv) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा-21(ह) के अन्तर्गत आयोग के पत्रांक 4537 दिनांक 01.11.2019 के द्वारा विहित घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय तथा खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में निर्धारित घोषणा पत्र/अंडरटेकिंग,
- (v) आयोग के पत्रांक 3795 दिनांक 04.10.2019 के अनुसार रुपये 50/- के नॉन न्यायिक स्टाम्प पेपर पर उपाबन्ध-I (शपथ पत्र) एवं
- (vi) सांख्यिकी सूचना हेतु फॉर्म भरकर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

किसी अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ उक्त दस्तावेजों को संलग्न नहीं किए जाने की स्थिति में उक्त उपबिन्दुओं में वर्णित आयोग के पत्रों में अंकित निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा कमी की पूर्ति के लिए मीमो जारी किया जाएगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात् भी अभ्यर्थी द्वारा कमी की पूर्ति नहीं की जाती है तो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसका नाम निर्देशन अस्वीकार किया जा सकेगा।

प्रश्न – नगरीय निकाय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है ?

उत्तर – नगरीय निकाय अध्यक्ष का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि निम्नानुसार हैं :-

- (i) महापौर (Mayor) पद के निर्वाचन में सामान्य वर्ग के लिए रुपये 30,000/- एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवार के लिए रुपये 15,000/-

- (ii) सभापति (President) पद निर्वाचन में सामान्य वर्ग के लिए रुपये 20,000/- एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवार के लिए रुपये 10,000/-
- (iii) अध्यक्ष (Chairman) पद निर्वाचन में सामान्य वर्ग के लिए रुपये 10,000/- एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवार के लिए रुपये 5,000/-
- अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र के साथ चुनाव लड़ने वाले पद एवं वर्ग के लिए निर्धारित राशि की रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

प्रश्न – नगरीय निकाय सदस्य का चुनाव कौन लड़ सकता है ?

उत्तर – राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 एवं 24 के तहत ऐसा कोई भी व्यक्ति नगरपालिका सदस्य का चुनाव लड़ सकता है :-

- (i) जो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
 - (ii) जिसका नाम संबंधित नगरीय निकाय के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में अंकित हो।
 - (iii) दिनांक 27.11.1995 के पश्चात् व्यक्ति की संतानों की संख्या बढ़कर दो से अधिक न हो गई हो।
- इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि वह व्यक्ति राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 (परिशिष्ट-1) में वर्णित योग्यताएं रखता हो एवं धारा 24 (परिशिष्ट-2) में वर्णित अयोग्यताएं ना हो।

प्रश्न-नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन हेतु भरे जाने वाले फार्म/संलग्नक कौन-कौन से हैं ?

उत्तर- नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन हेतु भरे जाने वाले फार्म/संलग्नक का विवरण निम्नानुसार हैं:-

1. नाम निर्देशन पत्र (प्रारूप-3)
2. उपाबंध – I (नगरीय निकाय अध्यक्ष/सदस्य निर्वाचन हेतु)
3. संतान के संबंध में घोषणा/अंडरटेकिंग का प्रारूप
4. दोष सिद्धी एवं विचाराधीन आपराधिक मुकदमों की सूचना हेतु घोषणा पत्र
5. सांख्यिकी सूचना हेतु प्रपत्र।
6. निर्धारित अमानत राशि की रसीद।
7. आरक्षित श्रेणी की सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र भी नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

प्रश्न – नगरीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु भरे जाने वाले फार्मों का शुल्क क्या है और ये फार्म कहां उपलब्ध होंगे ?

उत्तर – नगरीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु भरे जाने वाले फार्म रिटर्निंग अधिकारी/सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं तथा आयोग की वेबसाइट से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

प्रश्न – नगरीय निकाय सदस्य का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है ?

उत्तर – नगरीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि निम्नानुसार हैं :-

1. नगरपालिका बोर्ड सदस्य के लिए रुपये 2000/- (रुपए दो हजार मात्र), अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला होने की स्थिति में रुपये 1000/- (रुपए एक हजार मात्र),
2. नगरपरिषद सदस्य के लिए रुपये 4000/- (रुपए चार हजार मात्र), अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला होने की स्थिति में रुपये 2000/- (रुपए दो हजार मात्र),

3.नगर निगम सदस्य के लिए रुपये 6000/- (रुपए छः हजार मात्र), अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला होने की स्थिति में रुपये 3000/- (रुपए तीन हजार मात्र)
नोट – अनारक्षित सीटों से चुनाव लड़ने वाले आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार यदि अमानत राशि में छूट चाहते हैं तो उन्हें इस हेतु उन्हें सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

प्रश्न – नगरीय निकाय चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के निरस्त होने के मुख्य कारण कौनसे हैं ?

उत्तर – नगरीय निकाय चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के निरस्त होने के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं :-

- 1.उपाबंध-I में कोई कॉलम रिक्त छोड़ दिया जाए एवं रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मीमो जारी किए जाने के पश्चात् भी उम्मीदवार द्वारा मीमो में अंकित आक्षेप की पूर्ति नहीं की जाए।
- 2.आरक्षण के समर्थन में उपयुक्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाए।
- 3.अमानत राशि जमा नहीं कराई जाए।
- 4.एक से अधिक वार्डों में नामांकन पत्र दाखिल किए जाए एवं एक वार्ड को छोड़कर शेष वार्डों से नामांकन पत्र वापस नहीं लिया जाए तो सभी नामांकन पत्र अमान्य माने जाएंगे।
- 5.एक प्रस्तावक एक से अधिक उम्मीदवार को प्रस्तावित करता है तो प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित प्रथम उम्मीदवार को छोड़कर शेष उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्र अमान्य माने जाएंगे।
- 6.राज. नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 21 की योग्यता रखता हो एवं धारा 24 की अयोग्यता ना हो।

प्रश्न – नगरीय निकाय चुनाव हेतु अभ्यर्थियों की संतानों की संख्या में क्या गोद दी गई संतानों को सम्मिलित किया जाएगा ?

उत्तर –जी हां। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के तहत ऐसा व्यक्ति जिसके दो से अधिक संतान है वह निर्योग्य (Disqualified) होगा एवं दिनांक 27.11.1995 को विद्यमान रही उसकी संतानों की संख्या में यदि कोई वृद्धि नहीं होती है तो दो से अधिक संतान रखने वाले व्यक्ति को निरर्हित (Disqualified) नहीं माना जायेगा। यहां एक ही प्रसव से पैदा होने वाली संतानों की कोई भी संख्या को एक इकाई माना जायेगा एवं दत्तक में दिये गये किसी बच्चे को संतानों की संख्या की गिनती में से कम नहीं किया जायेगा।

प्रश्न – नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए कितने प्रस्तावक आवश्यक हैं ?

उत्तर – नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के लिए एक एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए पांच प्रस्तावक आवश्यक हैं।

प्रश्न – नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के उम्मीदवार एवं प्रस्तावक के नाम कहां की मतदाता सूची में होना आवश्यक हैं ?

उत्तर– नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नाम जिस नगरपालिका से वह चुनाव लड़ना चाहता है, उस नगरपालिका के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में होना चाहिए। प्रस्तावक का नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना चाहिए जिस वार्ड से उम्मीदवार चुनाव हेतु अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल कर रहा है।

प्रश्न – नगरीय निकाय चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम कितने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं ?

उत्तर– नगरीय निकाय चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम चार नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं।

प्रश्न – नगरीय निकाय चुनाव लड़ने हेतु क्या एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल करने पर अमानत राशि भी पृथक-पृथक जमा करानी होगी ?

उत्तर– चुनाव लड़ने हेतु एक से अधिक नामांकन पत्र दाखिल किए जाने पर भी अमानत राशि एक बार ही ली जाएगी।

प्रश्न – नगरीय निकाय चुनावों में उम्मीदवारों को चुनाव चिन्हों का आवंटन कैसे किया जाता है ?

उत्तर– इन चुनावों में राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अधिकृत उम्मीदवार को उस दल के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है एवं अन्य सभी उम्मीदवारों को आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त प्रतीकों में से प्रतीक आवंटित किया जाता है। नगरपालिका अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु चुनाव चिन्ह आयोग की अधिसूचना क्रमांक 2979/20.08.2019 एवं 3880/07.10.2019 (परिशिष्ट-3) तथा नगरपालिका वार्डों के निर्वाचन हेतु चुनाव चिन्ह आयोग की अधिसूचना 1516/02.05.2019 एवं 3888/07.10.2019 (परिशिष्ट-4) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार चुनाव चिन्ह आवंटित किये जाते हैं।

प्रश्न – मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल कौन-2 से है व उनके लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह क्या है ?

उत्तर – मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल एवं उनके लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह निम्नानुसार हैं :-

क्र.स.	मान्यता प्राप्त दल	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
A- राष्ट्रीय दल		
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस	पुष्प और तृण
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बाल और हॉसिया
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हॉसिया और सितारा
6.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ
7.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	घड़ी
8.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब
B- राज्यीय दल (राजस्थान राज्य के लिए)		
1.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल

प्रश्न – राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी किसे माना जाएगा ?

उत्तर– यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र में राज्य में मान्यता प्राप्त किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़े किए जाना अंकित किया गया हो एवं उस राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के राज्य ईकाई के अध्यक्ष द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित प्ररूप 'ख' (सदस्य पद के निर्वाचन के लिए) एवं प्ररूप 'घ' (अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए) मूल प्रति में उस अभ्यर्थी के नाम की सूचना रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर दी गई हो। यदि किसी दल के राज्य ईकाई के अध्यक्ष द्वारा इस हेतु किसी अन्य व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है तो राज्य ईकाई के अध्यक्ष द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर प्ररूप 'क' (सदस्य पद के निर्वाचन के लिए) एवं प्ररूप 'ग' (अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिए) मूल प्रति में रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना है। उक्त प्ररूप 'क' एवं 'ख' अथवा प्ररूप 'ग' एवं 'घ' नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि को दोपहर 3.00 बजे तक रिटर्निंग अधिकारी को प्रस्तुत कर दिए गए हो। (परिशिष्ट-3 एवं 4)

प्रश्न – यदि राज्य में मान्यता प्राप्त किसी राजनैतिक दल द्वारा दो अभ्यर्थियों को अपने दल के लिए अधिकृत कर दिया जाए तो किस अभ्यर्थी के उस दल द्वारा खड़ा किया हुआ माना जाएगा ?

उत्तर –राज्य में मान्यता प्राप्त किसी राजनैतिक दल द्वारा दो अभ्यर्थियों को अपने दल के लिए अधिकृत कर दिया जाने पर उस अभ्यर्थी को जिसका नाम निर्देशन पत्र बाद में अधिकृत हुआ हो, उस दल द्वारा खड़ा किया हुआ माना जाएगा।

प्रश्न – क्या कोई व्यक्ति एक साथ दो या दो से अधिक वार्डों से नगरपालिका चुनाव लड़ सकता है ?

उत्तर – जी नहीं।

परिशिष्ट -1

धारा 21: सदस्य होने के लिए अर्हित व्यक्ति.— धारा 6 और 24 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए, नगरपालिका में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि—

(क) अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, ऐसा व्यक्ति इन जातियों तथा जनजातियों या, यथास्थिति, वर्गों में से किसी का सदस्य न हो, और नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक न हो;

(ख) किसी महिला के लिए आरक्षित स्थान के मामले में, ऐसा व्यक्ति महिला न हो और नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक न हो;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित किसी स्थान की दशा में, ऐसा व्यक्ति इन जातियों या जनजातियों या, यथास्थिति, पिछड़े वर्गों में से किसी का सदस्य न हो और नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए निर्वाचक न हो और महिला न हो;

(घ) किसी अन्य स्थान की दशा में, वह व्यक्ति नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए कोई निर्वाचक न हो; और

(ङ) चाहे स्थान आरक्षित है या नहीं, दोनों ही मामलों में उसने इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो।

परिशिष्ट -2

धारा 24: सदस्यों के लिए साधारण निरर्हिताएं.— कोई व्यक्ति, अन्यथा अर्हित होते हुए भी, नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए या होने के लिए निरर्हित होगा—

(i) यदि वह किसी सक्षम न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध के लिए या किसी भी अन्य अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो और छह मास या अधिक के कारावास से दण्डादिष्ट किया गया हो, या

(ii) यदि वह इस अधिनियम की धारा 245 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, या

(iii) यदि वह ऐसे सक्षम न्यायालय के, जिसने अपराध का संज्ञान किया हो और उसके विरुद्ध पांच वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरचित कर दिये हों, विचारणाधीन हो, या

(iv) यदि वह खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 37) के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया हो, या

(v) जिसके विरुद्ध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 2) की धारा 110 के अधीन संस्थित कार्यवाहियों में उस संहिता की धारा 117 के अधीन कोई आदेश पारित कर दिया गया हो और ऐसा आदेश तत्पश्चात् उलटा नहीं गया हो, या

(vi) यदि वह केन्द्रीय या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी या खण्ड (xi) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अन्य प्राधिकारी की सेवा से अवचार के कारण पदच्युत कर दिया गया हो, या हटा दिया गया हो, या

(vii) यदि वह ऐसा वृत्ति-व्यवसायी रह चुका हो, जिसे किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा इस रूप में व्यवसाय करने से विवर्जित कर दिया गया हो, या

(viii) यदि वह नगरपालिका की प्रदान-शक्ति या व्यवस्था के अन्तर्गत कोई लाभ का पद धारण करता हो, या

(ix) यदि वह धारा 35 या धारा 41 के अधीन निरर्हित हो, या

(x) यदि वह राजस्थान विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए, तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के द्वारा या अधीन इस प्रकार निरर्हित हो:

परन्तु कोई व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, इस खण्ड के अधीन इस आधार पर निरर्हित नहीं होगा कि वह 25 वर्ष से कम आयु का है, या

(xi) यदि वह केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन कोई वैतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो, या

(xii) यदि वह किसी विश्वविद्यालय या किसी निगम, निकाय, उद्यम या सहकारी सोसाइटी, जो राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या पूर्णतः या अंशतः वित्त पोषित हो, के अधीन कोई वैतनिक या अंशकालिक नियुक्ति धारण करता हो, या

(xiii) यदि वह अनुमोचित दिवालिया हो, या

(xiv) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त न्यायनिर्णीत कर दिया गया हो, या

(xv) यदि वह, इसमें इसके पश्चात् यथा-उपबंधित को छोड़कर, ऐसी नगरपालिका के आदेश से किये गये किसी कार्य में, की गयी आपूर्ति में, या ऐसी नगरपालिका के साथ या उसके अधीन या द्वारा या उसकी ओर से किसी भी संविदा या नियोजन में, स्वयं का या उसके परिवार के किसी सदस्य या उसके भागीदार, नियोजक या कर्मचारी के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई हिस्सा या हित रखता हो, या

(xvi) यदि वह नगरपालिका के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकन भरते समय ऐसी नगरपालिका की ओर से वैतनिक विधि व्यवसायी के रूप में नियुक्त हो या किसी न्यायालय में ऐसी नगरपालिका के विरुद्ध वकील के रूप में पैरवी कर रहा हो या उस अवधि के दौरान जिसके लिए वह निर्वाचित हुआ है ऐसी नगरपालिका के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में नियोजन स्वीकार करता हो; या

(xvii) यदि उसके दो से अधिक सन्तानें हैं, या

(xviii) यदि उसके विरुद्ध दो से अधिक वर्षों से कोई भी नगरपालिक शोध की बकाया हो और उसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन वसूली के लिए कार्यवाहियां प्रारम्भ कर दी गयी हों, या

(xix) यदि उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नगरपालिका की सम्पत्ति या निधि का दुर्विनियोग या गबन अन्तर्वलित हो:

परन्तु—

(क) खण्ड (i) में वर्णित निरर्हता, निरर्हित व्यक्ति के कारावास से मुक्त होने की तारीख से छह वर्ष की समाप्ति के पश्चात् प्रवृत्त नहीं रहेगी;

(ख) खण्ड (v) में वर्णित निरर्हता, उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जिसके लिए उस व्यक्ति को प्रतिभूति देने का आदेश दिया गया है, प्रवृत्त नहीं रहेगी ;

(ग) खण्ड (ix) में वर्णित निरर्हता, यदि वह राज्य निर्वाचन आयोग के किसी आदेश द्वारा पहले ही नहीं हटा दी गयी हो, उस कालावधि की समाप्ति के पश्चात् जिसके लिए वह व्यक्ति इस प्रकार निरर्हित कर दिया गया है, प्रवृत्त नहीं रहेगी;

(घ) किसी व्यक्ति की बाबत इस कारण से खण्ड (xv) के अधीन निरर्हता उपगत की हुई नहीं समझी जायेगी कि वह—

(i) किसी भी ऐसी संयुक्त स्टाक कम्पनी में, जो नगरपालिका के साथ संविदा करे या जिसे नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया जाये, प्रबन्ध निदेशक या अभिकर्ता से भिन्न किसी रूप में कोई हिस्सा या हित रखता है, या

(ii) किसी भी स्थावर सम्पत्ति के किसी भी पट्टे, विक्रय या क्रय या उनके लिए किसी करार में कोई हिस्सा या हित रखता है, या

(iii) किन्हीं भी ऐसे समाचार पत्रों में कोई हिस्सा या हित रखता है, जिनमें नगरपालिका के कार्यकलापों से संबंधित कोई विज्ञापन सम्मिलित किये जाते हों, या

(iv) नगरपालिका द्वारा या उसकी ओर से लिए गये उधार में कोई डिबेंचर धारण करता है, या अन्यथा हितबद्ध है; या

(v) किसी ऐसी वस्तु के, जिसका वह नियमित रूप से व्यापार करता है, नगरपालिका को यदा-कदा किये जाने वाले इतने से अनधिक मूल्य के विक्रय में, जो नगरपालिका राज्य सरकार की मंजूरी से इस निमित्त नियत करे, कोई हिस्सा या हित रखता है, या

(vi) किसी भी शासकीय वर्ष में दो हजार रुपये से अनधिक की रकम, या पांच हजार रुपये से अनधिक ऐसी उच्चतर रकम, जो राज्य सरकार की मंजूरी से नगरपालिका द्वारा इस निमित्त नियत की जाये, की किसी भी वस्तु को यदा-कदा नगरपालिका को भाड़े पर देने या नगरपालिका से भाड़े पर लेने में हिस्सा या हित रखता है;

(ड) कोई व्यक्ति, जिसके दो से अधिक सन्तानें हैं, खण्ड (xvii) के अधीन तब तक निरर्हित नहीं होगा जब तक कि 27 नवम्बर, 1995 को रही उसकी संतानों की संख्या में वृद्धि नहीं होती।

स्पष्टीकरण.— खण्ड (xvii) के प्रयोजनों के लिए किसी एकल प्रसव से जन्मीं हुई सन्तानों की किसी भी संख्या को एक ही माना जायेगा और दत्तक में दी गयी किसी संतान को संतानों की संख्या की गणना करते समय अपवर्जित नहीं किया जायेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, FAX 0141-2227280, 2227072
क्रमांक: एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/2979

दिनांक : 20/01/19

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण की शक्तियाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और नगरपालिका अध्यक्षीय पदों के निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारु संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीकों की सूची विहित करने और प्रतीकों के आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 तथा 78 एवं 78A के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न आदेश जारी करता है:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ -**
 - (1) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन प्रतीक (अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन हेतु सूची और आवंटन) आदेश, 2019 है;
 - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है तथा यह नगरपालिकाओं के अध्यक्षीय पदों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और
 - (3) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।
2. **परिभाषाएँ -** इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (i) "सविरोध निर्वाचन" से नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होता है;
 - (ii) "निर्वाचन" से नगरपालिका के अध्यक्षीय पद के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;
 - (iii) "प्ररूप ग" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "ग" अभिप्रेत है;
 - (iv) "प्ररूप घ" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "घ" अभिप्रेत है;
 - (v) "खण्ड" से इस आदेश का खण्ड अभिप्रेत है;
 - (vi) "दल" से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;
 - (vii) "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजस्थान राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;
 - (viii) "नियम" से राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम अभिप्रेत है;
 - (ix) "सारणी-1" से इस आदेश के संलग्न सारणी-1 अभिप्रेत है;
 - (x) "सारणी-2" से इस आदेश के संलग्न सारणी-2 से अभिप्रेत है;
 - (xi) "अध्यक्ष" से किसी नगरपालिका मण्डल का अध्यक्ष, नगरपरिषद् का सभापति और नगर निगम का मेयर अभिप्रेत है; और

(xii) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट किये गये हैं।

3. निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन - निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आवंटित किया जायेगा तथा किसी नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए निर्वाचन में भिन्न-भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न-भिन्न प्रतीक आवंटित किया जायेगा।
4. निर्वाचन प्रतीकों का वर्गीकरण -
 - (1) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षित हैं अथवा मुक्त।
 - (2) आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो सारणी-1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल के लिए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
 - (3) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिस सारणी-2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
5. दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन -
 - (1) सारणी-1 के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट आरक्षित प्रतीक उसके सम्मुख स्तंभ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को ही आवंटित किया जायेगा, अन्य अभ्यर्थी को नहीं।
 - (2) सारणी-1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रतीक ही आवंटित किया जायेगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं।
6. कोई अभ्यर्थी किसी दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जायेगा - कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा, जबकि :-
 - (क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उस आशय की घोषणा की हो,
 - (ख) संबंधित राजनैतिक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाई के प्रमुख या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'घ' में इस आशय की लिखित सूचना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक को 3 बजे अपराह्न तक रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,
 - (ग) यदि राजनैतिक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाई के प्रमुख द्वारा नियम 12 के उपनियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर प्ररूप 'ग' में रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक के अपराह्न 3.00 बजे तक उपलब्ध करा दिये गये हों, और
 - (घ) प्ररूप 'ग' और प्ररूप 'घ' पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

स्पष्टीकरण-1 इस खण्ड के उप खण्ड (ख) एवं (ग) में किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के प्रमुख से अभिप्रेत दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहां दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहां सचिव से है।

स्पष्टीकरण-2 राजनैतिक दलों द्वारा उनके दल की राज्य इकाई के प्रमुख के हस्ताक्षर निर्वाचन की लोकसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व आयोग को उपलब्ध कराए जायेंगे। आयोग द्वारा उक्त नमूने के हस्ताक्षर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्फत प्रेषित किए जायेंगे।

स्पष्टीकरण-3 प्ररूप 'ग' और, यथास्थिति, प्ररूप 'घ' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्पों के हस्ताक्षर हैं तो उन्हें नहीं माना जायेगा तथा फैंक्स/ई-मेल/व्हाट्सअप इत्यादि द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. दल द्वारा खड़ा किया गया प्रतिस्थानी अभ्यर्थी (Substitute Candidate) -

(1) प्ररूप 'घ' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) जिसका नाम निर्देशन पत्र संवीक्षा में खारिज नहीं किया गया हो एवं उसके द्वारा अभ्यर्थिता वापस नहीं ली गई हो, को उस दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा जबकि उस दल के अनुमोदित उम्मीदवार का नाम निर्देशन-पत्र को नियम-13 के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या उसने अपनी अभ्यर्थिता नियम-16 के अन्तर्गत वापस ले ली हों।

(2) ऐसी स्थिति में जहाँ दल के अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'घ' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) का नामनिर्देशन-पत्र भी स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) को दल द्वारा खड़ा किया गया नहीं माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक इस आदेश के खण्ड 11 के अनुसार आवंटित किया जायेगा।

8. दल द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को प्रतिस्थापित किया जाना - यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया है तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जायेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'घ' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है और दल के अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'घ' इस आदेश के खण्ड 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गया हो।

परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिये एक से अधिक प्ररूप 'घ' भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों का मनोनयन वर्णित करते हुये रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होते हैं और दल यह बताने में असफल रहता है कि पूर्ववर्ती प्ररूप 'घ' वापिस ले लिया गया है या ले लिये गये हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यर्थी को ही उक्त दल द्वारा खड़ा किया हुआ मानेगा जिसका नाम निर्देशन पत्र सबसे पहले प्राप्त हुआ है और शेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिये यह माना जायेगा कि वे दल द्वारा खड़े नहीं किये गये हैं।

9. विनिर्दिष्ट प्रतीकों से भिन्न प्रतीकों के चयन व आवंटन पर निषेध — जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े नहीं किये गये हों, उन्हें नगरपालिका अध्यक्ष के निर्वाचन में संलग्न सारणी-2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों में से ही निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करते समय उनके द्वारा नामनिर्देशन-पत्र में उल्लिखित रुचि को ध्यान में रखा जायेगा। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतीक की मांग नहीं कर सकता है और यदि उसके द्वारा अपने नामनिर्देशन-पत्रों में किसी अन्य प्रतीक का उल्लेख किया गया हो तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. प्रथम नाम निर्देशन-पत्र में चुने गये प्रतीकों पर विचार किया जाना — अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम नामनिर्देशन-पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा, भले ही वह नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के दौरान खारिज क्यों न हो गया हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बाद के किसी नामनिर्देशन-पत्र में उल्लिखित (Mentioned) प्रतीकों को विचार में नहीं लिया जायेगा ;

परन्तु किसी दल द्वारा खड़े किये अभ्यर्थी के प्रकरण में ऐसे नामनिर्देशन पत्र, जिसमें अभ्यर्थी ने स्वयं को उस दल द्वारा खड़ा किया जाने की घोषणा की हो, में दर्शाये गये दल के आरक्षित प्रतीक पर विचार किया जायेगा, भले ही ऐसा नाम निर्देशन पत्र प्रथम नहीं हो;

परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने भिन्न-भिन्न नामनिर्देशन पत्रों में भिन्न-भिन्न दलों द्वारा स्वयं को खड़ा किया जाने की घोषणा इस अधिसूचना के खण्ड 6(क) के अन्तर्गत की है तो ऐसे नाम निर्देशन पत्र, जिसमें दर्शाये गये दल ने खण्ड 6 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा अभ्यर्थी का मनोनयन किया है, पर विचार किया जायेगा और यदि अभ्यर्थी का एक से अधिक दलों ने खण्ड 6 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा मनोनयन किया है तो ऐसे नामनिर्देशन पत्रों में पश्चात्वर्ती नामनिर्देशन पत्र में की गयी घोषणा पर ही विचार किया जायेगा तथा पूर्ववर्ती नामनिर्देशन पत्रों में की गयी घोषणाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण— 1. यदि अभ्यर्थी ने प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को किसी दल द्वारा खड़ा किये जाने की घोषणा की है, साथ ही मुक्त निर्वाचन प्रतीकों का भी चयन किया है और अभ्यर्थी को दल द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तब उक्त प्रथम नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये मुक्त प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा।

2. ऐसे मामले में जहाँ अभ्यर्थी ने किसी दल द्वारा खड़े किये जाने की उम्मीद में प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को दल द्वारा खड़ा किया जाना घोषित किया है, लेकिन निर्वाचन प्रतीकों का चयन नहीं किया है और दल ने उसे अनुमोदित नहीं किया है तो द्वितीय नाम निर्देशन पत्र में उल्लिखित निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनार्थ प्रथम माना जायेगा। यदि द्वितीय और तृतीय नाम निर्देशन पत्र भी इसी प्रकार दल द्वारा खड़े किये जाने की घोषणा करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं और प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो चतुर्थ नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर विचार किया जायेगा। यदि किसी भी नाम निर्देशन पत्र में प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो खण्ड 11 के अन्तर्गत मुक्त प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

11. अन्य अभ्यर्थियों (निर्दलीय अभ्यर्थियों) को प्रतीकों का आवंटन – ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें किसी दल ने खड़ा नहीं किया है, उनके प्रथम नामनिर्देशन पत्र में अंकित प्राथमिकता के आधार पर सारणी-2 में से निम्नानुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा :-
- (क) यदि रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा चाहा गया है तो वह प्रतीक उसी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा,
- (ख) यदि एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी रूचि की प्रथम वरीयता पर रखा हो तो मुक्त प्रतीक के आवंटन का निर्णय 'लॉट' (Lot) द्वारा किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट (Lot) निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा। लॉट (Lot) निकालने की कार्यवाही उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष की जाएगी,
- (ग) रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर, शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि की द्वितीय वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन उपरोक्त के अनुसार किया जायेगा।
- (घ) तत्पश्चात् शेष रहे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि की तृतीय वरीयता पर उल्लिखित निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा, और
- (ङ.) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता के सभी निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है, जिसे अपनी रूचि का (तीन में से) कोई प्रतीक आवंटित न हुआ हो या जिसने कोई रूचि ही न दी हो तो उसे सारणी-2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे ऊपर वाला वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्णक्रमानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।
12. निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय एवं उनका पुनरीक्षण :- रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी अभ्यर्थी को किसी प्रतीक का आवंटन अंतिम होगा सिवाय वहां के जहाँ वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये निदेशों से असंगत है, उस स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से पुनरीक्षित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।
13. अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति – राज्य निर्वाचन आयोग,–
- (क) इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए;
- (ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबन्धों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा
- (ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आवंटन के किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं है, या उपबन्ध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्वाध तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश निकाल सकेगा।

सारणी-1
(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल जिसके लिये आरक्षित है	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस	पुष्प और तृण
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	बाल और हाँसिया
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हाँसिया और सितारा
6.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ
7.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	घड़ी

सारणी-2
(नगरपालिका अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची)

क.सं.	मुक्त प्रतीक	क.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	2.	1.	2.
1.	बिजली का खंभा	21.	चिमटा
2.	मोटियों का हार	22.	अंगूर
3.	दूरबीन	23.	चाय छलनी
4.	ट्यूब लाइट	24.	चूड़ियाँ
5.	बाँसुरी	25.	लिफाफा
6.	हाथ गाड़ी	26.	तरबूज
7.	कड़ाही	27.	फव्वारा
8.	चाबी	28.	ईंटें
9.	लैपटॉप	29.	ब्लैक बोर्ड
10.	माईक	30.	बक्सा
11.	मिक्सी	31.	डिश एंटीना
12.	टायर	32.	कान की बालियाँ
13.	कुआँ	33.	माचिस की डिब्बी
14.	रेफ्रिजरेटर	34.	गले की टाई
15.	रोड रोलर	35.	झूला
16.	पानी का जहाज	36.	टी.वी. रिमोट
17.	ट्रैक्टर चलाता किसान	37.	ऊन व सिलाई
18.	साबुनदानी	38.	फोन चार्जर
19.	सोफा	39.	तुरहा बजाता आदमी
20.	ट्रक	40.	शटर

प्ररूप - 'ग'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों के नामों की सूचना के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/14/2979 दिनांक 20-8-19 का खण्ड 6)

प्रेषित-

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका

विषय:- नगरपालिका अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन- उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये व्यक्तियों का प्राधिकृत किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)/नपा/रानिआ/14/2979 दिनांक 20-8-19 के खण्ड (6) के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा संसूचित करता/करती हूँ कि ऊपर उद्धृत निर्वाचन में दल द्वारा खड़े किये जाने के लिये प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये (दल का नाम), जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :-

सूचना भेजने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद का नाम	नगरपालिका का नाम जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
1.	2.	3.
1.		
2.		
3.		

2. इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिये गये हैं :-

- श्री के नमूना हस्ताक्षर
(1) (2) (3)
- श्री के नमूना हस्ताक्षर
(1) (2) (3)
- श्री के नमूना हस्ताक्षर
(1) (2) (3)

स्थान:
दिनांक:

भवदीय,

अध्यक्ष/दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम

एवं हस्ताक्षर व दल का नाम दल की मोहर सहित

नोट:- 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपराह्न तक रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।

2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर अथवा रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3. फैंक्स/ई-मेल/व्हाट्सअप इत्यादि से भेजा गया प्ररूप मान्य नहीं होगा।

प्ररूप- 'घ'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों के नामों के बारे में सूचना
(नगरपालिका अध्यक्षीय पद के लिए निर्वाचन)
(देखिए अधिसूचना संख्या एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/14/2979 दिनांक 20-8-19 का खण्ड 6)

प्रेषित:-

रिटर्निंग अधिकारी,

नगरपालिका _____

विषय :- नगरपालिका अध्यक्षीय पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार खड़े करना ।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/2014/2979 दिनांक 20-8-19 के खण्ड (6) के अनुसार में..... (दल का नाम) जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, ने निम्नलिखित व्यक्तियों को ऊपर उद्धृत निर्वाचन में अपने उम्मीदवारों के रूप में खड़ा किया है । मैं उक्त दल की ओर से एतद्वारा सूचना देता हूँ कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे :-

- 1.(i) स्तम्भ 2 से 4 में दिया गया है उक्त दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और
- (ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तम्भ 5 से 7 में वर्णित है, दल का प्रतिस्थानी अभ्यर्थी है, जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा में खारिज किये जाने अथवा उसके अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है :-

नगर- पालिका का नाम	वार्ड संख्या	अनुमोदित उम्मीदवार का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार के*पिता /माता /पति का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार का डाक का पता	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का नाम (जो अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन-पत्र को संवीक्षा में रद्द कर दिये जाने/अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के*पिता/माता/पति का नाम	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के डाक का पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

- 2 प्ररूप 'घ' में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री दल के प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री के पक्ष में पहले दी गई सूचना एतद्वारा विखंडित की जाती है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य है उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत् शामिल है।

स्थान:

भवदीय,

दिनांक:

अध्यक्ष/दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम
एवं हस्ताक्षर व दल का नाम दल की मोहर सहित

- नोट:- 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपराह्न से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।
2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर अथवा रबड़ स्टाम्प आदि के माध्यम से किये गये हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. फ़ैक्स/ई-मेल/व्हाट्सअप से भेजा गया प्ररूप स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. यदि लागू न हो तो प्ररूप का पैरा 2 काट दें और यदि लागू हो तो उसे उचित रूप से भरा जाना चाहिये।

* जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिये

आज्ञा से,

(शशि कुमार)
सचिव

क्रमांक: संख्या 4(1)(1)नपा/रानिआ/14/2080-86

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

दिनांक : 20/8/19

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) नगरपालिका, राजस्थान।
5. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने एवं ई-मेल करने हेतु।
7. स्टार, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

20.8.19
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
(Email- secraja@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक:एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/ 3880

दिनांक 07.10.2019

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों में अध्यक्षीय पदों के निर्वाचनों हेतु निर्वाचन प्रतीकों के आरक्षण एवं आवंटन हेतु जारी अधिसूचना संख्या ए.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/2979 दिनांक 20.08.2019 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

- उक्त अधिसूचना की विद्यमान सारणी-1 (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक) के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी:-

सारणी-1 (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क.सं.	मान्यता प्राप्त दल	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
A- राष्ट्रीय दल		
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस	पुष्प और तृण
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बाल और हॉसिया
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	हथोड़ा, हॉसिया और सितारा
6.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ
7.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	चूड़ी
8.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब
B- राज्यीय दल (राजस्थान राज्य के लिए)		
1.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बालल

आज्ञा से,
7.10.2019
(अशोक कुमार जैन)
सचिव

दिनांक: 07.10.2019

क्रमांक: संख्या 4(1)(1)नपा/रानिआ/14/ 3881-87
प्रतिलिपि सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

- शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
- निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
- अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
- प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने एवं ई-मेल करने हेतु।
- स्टोर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

सहायक सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in ph- 0141-2227407, 2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/1516

दिनांक : 2/05/19

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में नगरपालिकाओं के लिए सभी निर्वाचनों में अधीक्षण, निर्देशन तथा नियन्त्रण भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है,

और नगरपालिका वार्डों के निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारु संचालन के लिए निर्वाचन प्रतीकों की सूची विहित करने और प्रतीकों के आरक्षण, चयन, आवंटन एवं तत्संबंधी विषयों को विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता है,

अतः राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 20 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 य क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त आयोग को समर्थ बनाने वाली सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी पूर्व की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/4270 दिनांक 26.09.2014, संशोधित अधिसूचना क्रमांक 4921 दिनांक 21.10.2014 एवं अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/3374 दिनांक 16.11.2016 को अधिक्रमित करते हुए निम्न आदेश जारी करता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ -

- (1) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका निर्वाचन प्रतीक (सदस्य पद के निर्वाचन हेतु सूची और आवंटन) आदेश, 2019 है,
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है तथा यह नगरपालिकाओं के वार्डों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और
- (3) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

2. परिभाषा - इस आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- (i) "संवरोध निर्वाचन" से वार्ड के लिए ऐसा निर्वाचन अभिप्रेत है जिसमें मतदान होता है;
- (ii) "निर्वाचन" से नगरपालिका के किसी वार्ड के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;
- (iii) "प्ररूप क" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "क" अभिप्रेत है;
- (iv) "प्ररूप ख" से इस आदेश के संलग्न प्ररूप "ख" अभिप्रेत है;
- (v) "खण्ड" से इस आदेश का खण्ड अभिप्रेत है;
- (vi) "दल" से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;
- (vii) "मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल" से निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजस्थान राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल अभिप्रेत है;
- (viii) "नियम" से राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 अभिप्रेत है;
- (ix) "सारणी-1" से इस आदेश के संलग्न सारणी-1 अभिप्रेत है;
- (x) "सारणी-2" से इस आदेश के संलग्न सारणी-2 अभिप्रेत है;
- (xi) "वार्ड" से किसी नगरपालिका का वार्ड अभिप्रेत है; और

20/5

(xii) जो शब्द ओर पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट किये गये हैं।

3. निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन - निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को इस आदेश के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक सविरोध निर्वाचन में एक प्रतीक आवंटित किया जायेगा तथा किसी वार्ड के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न अभ्यर्थियों को भिन्न-भिन्न प्रतीक आवंटित किया जायेगा।
4. निर्वाचन प्रतीकों का वर्गीकरण -
 - (1) इस आदेश के प्रयोजन के लिए प्रतीक, या तो आरक्षित है अथवा मुक्त।
 - (2) आरक्षित प्रतीक वह प्रतीक है जो सारणी-1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल के लिए, उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
 - (3) मुक्त प्रतीक ऐसा प्रतीक है जो आरक्षित प्रतीक से भिन्न है और जिसे सारणी-2 के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।
5. दलों के अभ्यर्थियों द्वारा प्रतीकों का चयन तथा उनका आवंटन -
 - (1) सारणी-1 के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट आरक्षित प्रतीक उस दल के सम्मुख स्तंभ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को ही आवंटित किया जायेगा, अन्य अभ्यर्थी को नहीं।
 - (2) सारणी-1 के स्तंभ 2 में वर्णित दल द्वारा किसी निर्वाचन में खड़े किये गये अभ्यर्थी को उस दल के सम्मुख स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट प्रतीक ही आवंटित किया जायेगा, कोई अन्य प्रतीक नहीं।
6. कोई अभ्यर्थी किसी दल द्वारा खड़ा किया गया कब माना जायेगा - कोई अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा, जबकि :-
 - (क) उस अभ्यर्थी ने अपने नाम निर्देशन पत्र में उस आशय की घोषणा की हो,
 - (ख) संबंधित राजनैतिक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाई के प्रमुख या इस निमित्त उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'ख' में इस आशय की लिखित सूचना नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के अन्तिम दिनांक को 3 बजे अपराह्न तक रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो,
 - (ग) यदि राजनैतिक दल के अध्यक्ष या राज्य इकाई के प्रमुख द्वारा नियम 12 के उपनियम (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकृत किया है और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्निंग अधिकारी को पत्र प्रेषित किया हो तो प्राधिकृत व्यक्ति के नमूने के हस्ताक्षर प्ररूप 'क' में रिटर्निंग अधिकारी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक के अपराह्न 3.00 बजे तक उपलब्ध करा दिये गये हों, और
 - (घ) प्ररूप 'क' और प्ररूप 'ख' पूर्वोक्त पदाधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा केवल स्याही से हस्ताक्षरित किये गये हों।

- स्पष्टीकरण-1 इस खण्ड के उप खण्ड (ख) एवं (ग) में किसी राजनैतिक दल की राज्य इकाई के प्रमुख से अभिप्रेत दल की राज्य इकाई के अध्यक्ष और जहाँ दल की राज्य इकाई का अध्यक्ष पद नहीं है, वहाँ सचिव से है।
- स्पष्टीकरण-2 राजनैतिक दलों द्वारा उनके दल की राज्य इकाई के प्रमुख के हस्ताक्षर निर्वाचन की लोकसूचना जारी होने की तिथि से पूर्व आयोग को उपलब्ध कराए जायेंगे। आयोग द्वारा उक्त नमूने के हस्ताक्षर संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्फत प्रेषित किए जायेंगे।
- स्पष्टीकरण-3 प्ररूप 'क' और, यथास्थिति, प्ररूप 'ख' पर यदि दल के किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्पों के हस्ताक्षर हैं तो उन्हें नहीं माना जायेगा तथा फैंक्स/ई-मेल/व्हाट्सअप इत्यादि द्वारा प्रेषित कोई प्ररूप भी स्वीकार नहीं किया जायेगा।

7. दल द्वारा खड़ा किया गया प्रतिस्थानी अभ्यर्थी (Substitute Candidate) :-

- (1) प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) जिसका नाम-निर्देशन पत्र संवीक्षा में खारिज नहीं किया गया हो, एवं उसके द्वारा अभ्यर्थिता वापस नहीं ली गई हो, को उस दल द्वारा खड़ा किया गया तभी माना जायेगा जबकि उस दल के उम्मीदवार का नामनिर्देशन-पत्र को नियम-13 के अन्तर्गत संवीक्षा में रद्द कर दिया गया हो या उसने अपनी अभ्यर्थिता नियम-16 के अन्तर्गत वापस ले ली हो।
- (2) ऐसी स्थिति में जहाँ दल के अनुमोदित अभ्यर्थी का नाम निर्देशन पत्र स्वीकार कर लिया जाता है और वह अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है, यदि प्ररूप 'ख' के स्तम्भ 6 में वर्णित प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) का कोई नामनिर्देशन-पत्र स्वीकार कर लिया जाता है तथा ऐसा प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) भी अपनी अभ्यर्थिता वापिस नहीं लेता है तो ऐसे प्रतिस्थानी उम्मीदवार (Substitute Candidate) को दल द्वारा खड़ा किया गया नहीं माना जायेगा और उसे मुक्त प्रतीक इस आदेश के खण्ड 11 के अनुसार आवंटित किया जायेगा।

8. दल द्वारा अनुमोदित अभ्यर्थी को प्रतिस्थापित किया जाना - यदि किसी दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी को अनुमोदित किया गया है तो अन्य अभ्यर्थी को ही दल का अनुमोदित अभ्यर्थी माना जायेगा।

परन्तु दल द्वारा पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त करते हुये अन्य अभ्यर्थी का मनोनयन तभी माना जायेगा जबकि प्ररूप 'ख' में यह स्पष्ट उल्लेख हो कि पूर्व में अनुमोदित अभ्यर्थी का मनोनयन निरस्त कर दिया गया है और दल के अध्यक्ष या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्ररूप 'ख' इस आदेश के खण्ड 6 में बतायी गयी समयावधि के भीतर रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त हो गया हो।

परन्तु यह और कि यदि किसी एक ही वार्ड के निर्वाचन के लिये एक से अधिक प्ररूप 'ख' भिन्न-भिन्न अभ्यर्थियों का मनोनयन वर्णित करते हुये रिटर्निंग अधिकारी को प्राप्त होते हैं और दल यह बताने में असफल रहता है कि पूर्ववर्ती प्ररूप 'ख' वापिस ले लिया गया है या ले लिये गये हैं, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल ऐसे एक अभ्यर्थी को ही उक्त दल द्वारा खड़ा किया हुआ मानेगा जिसका नाम निर्देशन पत्र सबसे पहले प्राप्त हुआ है और शेष अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के लिये यह माना जायेगा कि वे दल द्वारा खड़े नहीं किये गये हैं।

20/3

9. विनिर्दिष्ट प्रतीकों से भिन्न प्रतीकों के चयन व आवंटन पर निषेध – जो अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा खड़े नहीं किये गये हों, उन्हें नगरपालिका सदस्य के निर्वाचन में संलग्न सारणी-2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त प्रतीकों में से ही निर्वाचन प्रतीक आवंटित किये जायेंगे। अभ्यर्थियों को निर्वाचन प्रतीक आवंटित करते समय उनके द्वारा नामनिर्देशन-पत्र में उल्लिखित रुचि को ध्यान में रखा जायेगा। कोई भी अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट निर्वाचन प्रतीकों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रतीक की मांग नहीं कर सकता है और यदि उसके द्वारा अपने नामनिर्देशन-पत्रों में किसी अन्य प्रतीक का उल्लेख किया गया हो तो उस पर विचार नहीं किया जायेगा।

10. प्रथम नाम निर्देशन-पत्र में चुने गये प्रतीकों पर विचार किया जाना – अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम नामनिर्देशन-पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा, भले ही वह नामनिर्देशन-पत्र संवीक्षा के दौरान खारिज ही क्यों न हो गया हो। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बाद के किसी नामनिर्देशन-पत्र में उल्लिखित (Mentioned) प्रतीकों को विचार में नहीं लिया जावेगा;

परन्तु किसी दल द्वारा खड़े किये अभ्यर्थी के प्रकरण में ऐसे नामनिर्देशन पत्र, जिसमें अभ्यर्थी ने स्वयं को उस दल द्वारा खड़ा किया जाने की घोषणा की हो, में दर्शाये गये दल के आरक्षित प्रतीक पर विचार किया जायेगा, भले ही ऐसा नाम निर्देशन पत्र प्रथम नहीं हो;

परन्तु यह और कि यदि किसी अभ्यर्थी ने अपने भिन्न-भिन्न नामनिर्देशन पत्रों में भिन्न-भिन्न दलों द्वारा स्वयं को खड़ा किया जाने की घोषणा इस अधिसूचना के खण्ड 6(क) के अन्तर्गत की है तो ऐसे नाम निर्देशन पत्र, जिसमें दर्शाये गये दल ने खण्ड 6 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा अभ्यर्थी का मनोनयन किया है, पर विचार किया जायेगा और यदि अभ्यर्थी का एक से अधिक दलों ने खण्ड 6 के अन्तर्गत नोटिस द्वारा मनोनयन किया है तो ऐसे नामनिर्देशन पत्रों में पश्चात्वर्ती नामनिर्देशन पत्र में की गयी घोषणा पर ही विचार किया जायेगा तथा पूर्ववर्ती नामनिर्देशन पत्रों में की गयी घोषणाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण- 1. यदि अभ्यर्थी ने प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को किसी दल द्वारा खड़ा किये जाने की घोषणा की है, साथ ही मुक्त निर्वाचन प्रतीकों का भी चयन किया है और अभ्यर्थी को दल द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है तब उक्त प्रथम नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये मुक्त प्रतीकों पर ही विचार किया जायेगा।

2. ऐसे मामले में जहाँ अभ्यर्थी ने किसी दल द्वारा खड़े किये जाने की उम्मीद में प्रथम नाम निर्देशन पत्र में स्वयं को दल द्वारा खड़ा किया जाना घोषित किया है, लेकिन निर्वाचन प्रतीकों का चयन नहीं किया है और दल ने उसे अनुमोदित नहीं किया है तो द्वितीय नाम निर्देशन पत्र में उल्लिखित निर्वाचन प्रतीक के आवंटन के प्रयोजनार्थ प्रथम माना जायेगा। यदि द्वितीय और तृतीय नाम निर्देशन पत्र भी इसी प्रकार दल द्वारा खड़े किये जाने की घोषणा करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं और प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो चतुर्थ नाम निर्देशन पत्र में दर्शाये गये प्रतीकों पर विचार किया जायेगा। यदि किसी भी नाम निर्देशन पत्र में प्रतीकों का चयन नहीं किया गया है तो खण्ड 11 के अन्तर्गत मुक्त प्रतीक आवंटित किये जायेंगे।

11. अन्य अभ्यर्थियों (निर्वलीय अभ्यर्थियों) को प्रतीकों का आवंटन – ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें किसी दल ने खड़ा नहीं किया है, उनके प्रथम नामनिर्देशन पत्र में अंकित प्राथमिकता क्रम के आधार पर सारणी-2 में से निम्नानुसार निर्वाचन प्रतीक आवंटित किया जायेगा :-

- (क) यदि रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीक को एक ही अभ्यर्थी द्वारा ग्राह लिया गया है तो वह प्रतीक उसी उम्मीदवार को आवंटित कर दिया जायेगा,
- (ख) यदि एक ही प्रतीक को एक से अधिक अभ्यर्थियों ने अपनी रूचि की प्रथम वरीयता पर रखा हो तो मुक्त प्रतीक के आवंटन का निर्णय 'लॉट' (Lot) द्वारा किया जायेगा। जिस अभ्यर्थी के पक्ष में लॉट (Lot) निकले उसे ही वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा। लॉट (Lot) निकालने की कार्यवाही उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष की जाएगी,
- (ग) रूचि में प्रथम वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन हो जाने पर, शेष बचे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि की द्वितीय वरीयता पर उल्लिखित प्रतीकों का आवंटन उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।
- (घ) तत्पश्चात् शेष रहे अभ्यर्थियों को उनकी रूचि की तृतीय वरीयता पर उल्लिखित निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन उपरोक्तानुसार ही किया जायेगा, और
- (ङ) प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वरीयता के सभी निर्वाचन प्रतीक आवंटित हो जाने के पश्चात् यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा रह जाता है, जिसे अपनी रूचि का (तीन में से) कोई प्रतीक आवंटित न हुआ हो या जिसने कोई रूचि ही न दी हो तो उसे सारणी-2 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट मुक्त निर्वाचन प्रतीकों में से क्रम में सबसे ऊपर वाला वह प्रतीक आवंटित किया जायेगा जो किसी को आवंटित नहीं किया गया है। प्रतीकों का क्रमवार इस प्रकार का आवंटन, अभ्यर्थियों को हिन्दी वर्णक्रमानुसार चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में, उनके नामों के अनुसार (एक के बाद एक) किया जायेगा।

12. निर्वाचन प्रतीकों के आवंटन में रिटर्निंग अधिकारी का निर्णय एवं उनका पुनरीक्षण :- रिटर्निंग अधिकारी द्वारा किसी अभ्यर्थी को किसी प्रतीक का आवंटन अंतिम होगा सिवाय वहाँ के जहाँ वह राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त जारी किये गये निदेशों से असंगत है, उस स्थिति में राज्य निर्वाचन आयोग आवंटन को ऐसी रीति से पुनरीक्षित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

13. अनुदेश तथा निदेश निकालने की आयोग की शक्ति – राज्य निर्वाचन आयोग,-

- (क) इस आदेश के उपबन्धों में से किसी का स्पष्टीकरण करने के लिए;
- (ख) किसी ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए, जो किन्हीं ऐसे उपबन्धों के कार्यान्वयन के संबंध में उत्पन्न हो; तथा
- (ग) प्रतीकों के आरक्षण तथा आवंटन के किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई उपबन्ध नहीं है या उपबन्ध अपर्याप्त है, तथा जिसके लिए निर्वाचनों के निर्बाध तथा व्यवस्थित संचालन के लिए आयोग की राय में उपबन्ध करना आवश्यक है, अनुदेश तथा निदेश निकाल सकेगा।

20/04

सारणी-1
(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क्र.सं.	मान्यता प्राप्त दल जिसके लिये आरक्षित है	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस	पुष्प और तृण
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	बाल और हॉसिया
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हॉसिया और सितारा
6.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ
7.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	घड़ी

सारणी-2
(नगरपालिका सदस्य के निर्वाचन के लिए मुक्त प्रतीकों की सूची)

क्र.सं.	मुक्त प्रतीक	क्र.सं.	मुक्त प्रतीक
1.	टेलीफोन	21.	डीजल पम्प
2.	अलमारी	22.	बैटरी टार्च
3.	गुब्बारा	23.	हॉर्मोनियम
4.	टेलीविजन	24.	स्टूल
5.	बोतल	25.	लेटर बॉक्स
6.	कैमरा	26.	ब्रीफकेस
7.	गैस सिलेण्डर	27.	बुश
8.	गैस का चूल्हा	28.	सीटी
9.	प्रेशर कुकर	29.	बल्ला
10.	कॉच का गिलास	30.	बल्लेबाज
11.	कप और प्लेट	31.	वायलिन
12.	चारपाई	32.	कोट
13.	खिड़की	33.	छड़ी
14.	मैज	34.	केतली
15.	अंगूठी	35.	डोली
16.	प्रेस	36.	हैलीकॉप्टर
17.	कैची	37.	फुटबाल
18.	ऑटो रिकशा	38.	हेलमेट
19.	बाल्टी	39.	पेट्रोल पम्प
20.	सिलाई की मशीन	40.	कम्प्यूटर

प्ररूप - 'क'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों के नामों की सूचना के लिये प्राधिकृत व्यक्तियों के संबंध में सूचना

(दखिए अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/14/1516... दिनांक 02/5/19 का खण्ड 6)

प्रविष्टि -

रिटर्निंग अधिकारी,
नगरपालिका

विषय:- नगरपालिका सदस्य के निर्वाचन हेतु निर्वाचन प्रतीकों का आवंटन- उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये व्यक्तियों का प्राधिकृत किया जाना।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)/नपा/रानिआ/14/1516... दिनांक 02/5/19 के खण्ड (6) के अनुसरण में, मैं, इसके द्वारा संसूचित करता/करती हूँ कि ऊपर उद्धृत निर्वाचन में दल द्वारा खड़े किये जाने के लिये प्रस्तावित उम्मीदवारों के नामों की सूचना देने के लिये (दल का नाम) जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों को प्राधिकृत किया गया है :-

सूचना भेजने के लिये प्राधिकृत व्यक्ति का नाम	दल में धारित पद का नाम	नगरपालिका का नाम और वार्ड संख्या जिसके संबंध में उसे प्राधिकृत किया गया है
1.	2.	3.
1.		
2.		
3.		

2. इस प्रकार प्राधिकृत ऊपर उल्लिखित व्यक्ति/व्यक्तियों के हस्ताक्षरों के नमूने नीचे दिये गये हैं :-

- श्री के नमूना हस्ताक्षर
(1) (2) (3)
- श्री के नमूना हस्ताक्षर
(1) (2) (3)
- श्री के नमूना हस्ताक्षर
(1) (2) (3)

भवदीय,

स्थान:
दिनांक

अध्यक्ष/दल के प्राधिकृत व्यक्ति का नाम
एवं हस्ताक्षर व दल का नाम दल की मोहर सहित

- नोट:-
- यह प्ररूप नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपराह्न तक रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।
 - प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर या रबड़ स्टाम्प के हस्ताक्षरों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
 - फैक्स/ई-मेल/व्हाट्सअप इत्यादि से भेजा गया प्ररूप मान्य नहीं होगा।

प्ररूप- 'ख'

राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवारों के नामों के बारे में सूचना

(देखिए अधिसूचना संख्या एफ4(1)(1)नपा/रानिआ/2014/1516 दिनांक 02/5/19 का खण्ड 6)

प्रेषित:-

रिटर्निंग अधिकारी,

नगरपालिका

विषय :- नगरपालिका सदस्यों के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार खड़े करना ।

महोदय,

अधिसूचना संख्या एफ 4(1)(1)नपा/रानिआ/2014/1516 दिनांक 2/5/19 के खण्ड (6) के अनुसरण में..... (दल का नाम) जो निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 के अंतर्गत राजस्थान में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल है, जे निम्नलिखित व्यक्तियों को ऊपर उद्धृत निर्वाचन में अपने उम्मीदवारों के रूप में उनके सामने बताये गये वार्ड से खड़ा किया है । मैं उक्त दल की ओर से एतद्वारा सूचना देता हूँ कि वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे :-

- 1.(i) स्तम्भ 3 से 5 में दिया गया है उक्त दल का अनुमोदित अभ्यर्थी है, और
- (ii) वह व्यक्ति जिसका विवरण नीचे स्तम्भ 6 से 8 में वर्णित है, दल का प्रतिस्थानी अभ्यर्थी है, जो अनुमोदित अभ्यर्थी के नाम निर्देशन-पत्र की संवीक्षा में खारिज किये जाने अथवा उसके अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है :-

नगर- पालिका का नाम	वार्ड संख्या	अनुमोदित उम्मीदवार का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार के*पिता/ माता / पति का नाम	अनुमोदित उम्मीदवार का डाक का पता	प्रतिस्थानी उम्मीदवार का नाम (जो अनुमोदित उम्मीदवार के नामनिर्देशन- पत्र को संवीक्षा में रद्द कर दिये जाने/अभ्यर्थिता वापस लेने पर उसका स्थान लेगा, यदि प्रतिस्थानी अभ्यर्थी अभी भी निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है।	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के*पिता/ माता / पति का नाम	प्रतिस्थानी उम्मीदवार के डाक का पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

2. प्ररूप 'ख' में दल के अनुमोदित अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री
दल के प्रतिस्थानी अभ्यर्थी के रूप में श्री/श्रीमती/सुश्री के पक्ष में
पहले दी गई सूचना एतद्वारा विखंडित की जाती है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक अभ्यर्थी जिसके नाम का ऊपर उल्लेख किया गया है, इस राजनैतिक दल का एक सदस्य उसका नाम, इस दल के सदस्यों की नामावली में विधिवत शामिल है।

भवदीय,

स्थान:

दिनांक:

अध्यक्ष/दल के प्रधिकृत व्यक्ति का नाम
एवं हस्ताक्षर व दल का नाम दल की मोहर सहित

- नोट:- 1. यह प्ररूप नाम निर्देशन-पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 3.00 बजे अपराह्न से पूर्व रिटर्निंग अधिकारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत हो जाना चाहिये।
2. प्ररूप उपर्युक्त पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित किया जाना चाहिये। किसी पदाधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति के अनुलिपि (Facsimile) हस्ताक्षर अथवा रबड़ स्टाम्प आदि के माध्यम से किये गये हस्ताक्षर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
3. फैक्स/ई-मेल/व्हाट्सअप से भेजा गया प्ररूप स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. यदि लागू न हो तो प्ररूप का पैरा 2 काट दें और यदि लागू हो तो उसे उचित रूप से भरा जाना चाहिये।

*जो लागू नहीं हो उसे काट दीजिये

आज्ञा से,

सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: संख्या 4(1)(1)नपा/रानिआ/14/1517-23

दिनांक: 2/05/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
2. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), राजस्थान।
5. अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने एवं ई-मेल करने हेतु।
7. स्टोर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

उप सचिव 2.5.2019

राज्य निर्वाचन आयोग,
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/3888

दिनांक : 07.10.2019

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों में वार्ड सदस्यों के निर्वाचनों हेतु निर्वाचन प्रतीकों के आरक्षण एवं आवंटन हेतु जारी अधिसूचना संख्या ए.4(1)(1)नपा/रानिआ/14/1516 दिनांक 02.05.2019 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

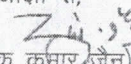
- उक्त अधिसूचना की विद्यमान सारणी-1 (मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक) के स्थान पर निम्नलिखित सारणी प्रतिस्थापित की जायेगी:-

सारणी-1

(मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल व आरक्षित प्रतीक)

क्र.सं.	मान्यता प्राप्त दल	आरक्षित प्रतीक
1.	2.	3.
A- राष्ट्रीय दल		
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल कांग्रेस	पुष्प और तृण
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बाल और हॉसिया
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)	हथौड़ा, हॉसिया और सितारा
6.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	हाथ
7.	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी	घड़ी
8.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब
B- राज्यीय दल (राजस्थान राज्य के लिए)		
1.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	बोतल

- उक्त अधिसूचना क्रमांक 1516 दि. 2.05.19 की विद्यमान सारणी-2 में नगरपालिका सदस्य के निर्वाचन हेतु अंकित मुक्त प्रतीकों की सूची में क्रम संख्या-5 एवं उसकी प्रविष्टि "बोतल" को विलोपित किया जायेगा।

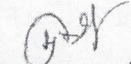
आज्ञा से,

 (अशोक कुमार जैन) 7.10.2019
 सचिव

दिनांक : 07.10.2019

क्रमांक: संख्या 4(1)(1)नपा/रानिआ/14/3889-95

प्रतिलिपि सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नांकित को प्रेषित है:-

- शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज., जयपुर।
- निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- समस्त जिला नगरपालिका निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान।
- अध्यक्ष/सचिव समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।
- प्रोग्रामर: राज्य निर्वाचन आयोग को राजपत्र में प्रकाशन हेतु ई-गजट पर अपलोड करने एवं ई-मेल करने हेतु।
- स्टार, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।


 सहायक सचिव
 राज्य निर्वाचन आयोग,